अध्याय 9

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के अंतराल का मूल्यांकन

9.1 राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने हेतु विभिन्न प्रारूप विकसित किए हैं। तीन विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियां राज्य की सभी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को वितरित की गई। आयोग द्वारा संभाग मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को प्रश्नावली को भरने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शन दिया गया, परन्तु पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त प्रश्नावलियों में जानकारी या तो अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण थी जिससे स्थिति का स्पष्ट चित्रण नहीं हो पाया। प्रदत्त जानकारियों में बहुत सारी विसंगतियां थी जो पंचायती राज संस्थाओं की अभिलेख संधारण एवं क्षमता निर्माण में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।

9.2 जैसा कि हमें ज्ञात है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचायतों के लिए अंतर का मूल्यांकन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः आयोग के समक्ष इस कार्य के लिए उचित कार्य विधि का चयन करना एक समस्या थी। विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु राज्य वित्त आयोग ने हाई पॉवर एक्सपर्ट कमेटी, रिपोर्ट ऑन इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस, 2011 को आधार बनाया है, जो मूलतः नगरीय स्थानीय निकायों के लिए है।

तालिका 9.1

अधोसंरचना के अंतर्गत पूंजीगत, परिचालन व अनुरक्षण में प्रति व्यक्ति निवेश

(राशि रूपये में)

नागरिक सुविधाएं/श्रेणी के आधार पर		1B	1C	II	III	IV
जल आपूर्ति	पूंजीगत	4395	5924	4957	5901	5901
	परि. एवं अनु.	613	491	491	368	245
सीवरेज	पूंजीगत	3841	3411	5316	5649	6648
	परि. एवं अनु.	373	290	290	207	145
बरसाती पानी निकासी	पूंजीगत	4140	5175	2100	2800	2800
	परि. एवं अनु.	62	78	32	42	42
सड़क	पूंजीगत	23460	29325	16800	22400	22400
	परि. एवं अनु.	421	527	276	368	368
सड़क बत्ती	पूंजीगत	1606	1258	207	107	107
	परि. एवं अनु.	55	54	4	3	3
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	पूंजीगत	393	410	236	204	204
	परि. एवं अनु.	189	135	113	113	113

स्रोतः हाई पॉवर एक्सपर्ट कमेटी, रिपोर्ट ऑन इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस, 2011 (द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन परिशिष्ट 13.3)

9.3 आयोग ने उक्त प्रतिवेदन की श्रेणी IV (नगर पंचायत) को आधार बनाया है, जो ग्राम पंचायतों के मानदंडों और आवश्यकताओं के बहुत करीब है। सीवरेज एवं सड़क को छोड़कर शेष 4 नागरिक सुविधाओं यथा- जल आपूर्ति, बरसाती पानी निकासी, सड़क बत्ती एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अधोसंरचना निर्माण एवं परिचालन के उद्देश्य के लिए प्रति व्यक्ति निवेश के मापदण्ड परिगणित किए गए हैं। (तालिका 9.2)

तालिका 9.2
ग्रामीण जनसंख्या हेतु अधोसंरचना के अंतर्गत पूंजीगत एवं परिचालन व अनुरक्षण में प्रति व्यक्ति निवेश के मापदण्ड पर आधारित प्रक्षेपण

(राशि रूपये में)

मद	ग्रामीण जनसंख्या	पूंजीगत व्यय	परिचालन एवं अनुरक्षण
जल आपूर्ति		5901	245
स्ट्रीट लाईट		107	3
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		204	113
बरसाती पानी निकासी		2800	42
20 वर्ष की अवधि के लिए कुल व्यय		**9012**	**403**
एक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आवश्यक व्यय		451	20
एक वर्ष के लिए कुल ग्रामीण आबादी हेतु आवश्यक व्यय	**19607961**	**8835347227**	**395100414**
एक वर्ष के लिए कुल ग्रामीण आबादी हेतु आवश्यक व्यय (करोड़ रूपये में)		883.53	39.51
11 प्रतिशत की वृद्धि दर पश्चात् (करोड़ रूपये में)		**980.72**	**42.99**

9.4 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए (वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17) पूंजीगत व्यय में 15 प्रतिशत, परिचालन एवं अनुरक्षण में 8.8 प्रतिशत और दोनों व्ययों के लिए मुद्रा स्फीति में 8 प्रतिशत संवृद्धि दर मानी गई है। लेकिन 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22) पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत, परिचालन एवं अनुरक्षण में 8.8 प्रतिशत और दोनों व्ययों के लिए मुद्रा स्फीति में 8 प्रतिशत संवृद्धि दर मानी गई है। (तालिका 9.3)

तालिका 9.3
अधिनिर्णय अवधि हेतु ग्रामीण जनसंख्या हेतु अधोसंरचना के अंतर्गत पूंजीगत, परिचालन व अनुरक्षण में प्रतिव्यक्ति निवेश के मापदण्ड आधारित प्रक्षेपण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	स्थिर मूल्यों पर पूंजीगत व्यय - वर्ष 2010-11		परिचालन एवं अनुरक्षण	
		आवश्यक अनुमान			
		12 प्रतिशत वृद्धि दर	8 प्रतिशत मुद्रास्फीति	8.8 प्रतिशत वृद्धि दर	8 प्रतिशत मुद्रास्फीति
1	17-18	2386.36	2577.27	65.536	70.78
2	18-19	2672.72	2886.54	71.303	77.01
3	19-20	2993.45	3232.93	77.578	83.78
4	20-21	3352.67	3620.88	84.405	91.16
5	21-22	3754.99	4055.39	91.832	99.18
	कुल	15160.19	**16373.01**	390.65	**421.91**

9.5 तालिका 9.4 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कुल कोषों का प्रवाह दर्शित किया गया है।

तालिका 9.4
पंचायती राज संस्थाओं हेतु कोषों का प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	ग्राम पंचायतों का स्वयं का राजस्व संग्रहण	39.23	59.64	74.16	81.57
2	जनपद पंचायतों का स्वयं का राजस्व संग्रहण (5 वर्षों का औसत)	0.39	0.39	0.39	0.39
	उप - योग	**39.62**	**60.03**	**74.55**	**81.96**
3	राज्य वित्त आयोग से अंतरण	798.00	1120.00	1122.00	901.00
4	समनुदेशित राजस्व	257.00	428.70	353.94	420.32
	कुल योग	**1094.62**	**1608.73**	**1550.49**	**1403.28**

पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के स्रोतों से आय का प्रक्षेपण

9.6 पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के स्रोतों से आय की गणना तालिका 9.5 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 9.5
पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय का प्रक्षेपण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय	पूंजीगत एवं संचालन - अनुरक्षण व्यय हेतु 75 प्रतिशत
1	2017-18 बजट प्रावधान	81.96	61.47
2	2018-19 बजट प्रावधान	88.52	66.39
3	2019-20 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	95.60	71.70
4	2020-21 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	103.25	77.43
5	2021-22 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	111.51	83.63
	योग	**480.84**	**360.62**

स्रोतः एकत्रित आँकड़ों के आधार पर गणना।

प्रस्तावित राज्य वित्त आयोग अंतरण

9.7 आयोग द्वारा अधिनिर्णय अवधि हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 6.91 प्रतिशत भाग प्रस्तावित किया गया है। (तालिका 9.7)

तालिका 9.7

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए प्रस्तावित राज्य वित्त आयोग अंतरण

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
राज्य वित्त आयोग अंतरण (राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 6.91 प्रतिशत)	1424.17	1582.84	1769.61	1978.42	2211.88	**8966.92**

समनुदेशित राजस्व का प्रक्षेपण

9.8 निम्नलिखित तालिका आगामी पाँच वर्षों के लिए समनुदेशित राजस्व के प्रक्षेपण को दर्शाती है। प्रक्षेपित राशि की 25 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय एवं शेष 75 प्रतिशत राशि पूंजीगत विनियोग एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में अनुमानित की गई है। (तालिका 9.6)

तालिका 9.6

समनुदेशित राजस्व का प्रक्षेपण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	समनुदेशित राजस्व	पूंजीगत एवं संचालन - अनुरक्षण व्यय हेतु 75 प्रतिशत
1	2017-18 बजट प्रावधान	420.32	315.24
2	2018-19 बजट प्रावधान	389.75	292.31
3	2019-20 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	420.93	315.70
4	2020-21 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	454.60	340.95
5	2021-22 8 प्रतिशत संवृद्धि दर	490.97	368.23
	योग	**2176.58**	**1632.43**

स्रोतः एकत्रित आँकड़ों के आधार पर गणना।

9.9 पंचायती राज संस्थाओं की निधि संबंधी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। अधिनिर्णय अवधि हेतु पंचायतों के मूलभूत कार्यों के संपादन के लिए कुल 16795 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए हैं। आयोग के अनुसार इनमें से कुछ आवश्यकताएं महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। सीवरेज प्रणाली की बेहतरी एवं अन्य सुविधाओं के लिए प्रति ग्राम पंचायत रू. 5.00 लाख के मान से सभी 10971 ग्राम पंचायतों हेतु लगभग रू. 550.00 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है।

9.10 तालिका 9.8 से यह स्पष्ट होता है कि पाँच वर्ष (वर्ष 2017-2022) की अधिनिर्णय अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोषों की न्यूनतम आवश्यकता लगभग 17345 करोड़ रूपये होगी, जिसमें 1993 करोड़ रूपये

समनुदेशित राजस्व और ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के स्वयं के राजस्व द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तृतीय राज्य वित्त आयोग के अंतरण के द्वारा रू. 8,967 करोड़ भी उपलब्ध होंगे, फिर भी लगभग 6385 करोड़ रूपये का अंतर शेष रह जाएगा। (तालिका 9.8)

तालिका 9.8
निवेश की आवश्यकता एवं संसाधन जुटाना

(करोड़ रूपये में)

निवेश की आवश्यकता	राशि	संसाधन	राशि
पूंजीगत आवश्यकता	16373	पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के स्रोत (75 प्रतिशत)	361
परिचालन एवं अनुरक्षण आवश्यकता	422	समनुदेशित राजस्व (75 प्रतिशत)	1632
मूलभूत कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता	**16795**	**पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कोष**	**1993**
सीवरेज प्रणाली एवं अन्य सुविधाओं के लिए कोष (सभी 10971 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति इकाई रू. 5 लाख)	550	राज्य वित्त आयोग से अंतरण (प्रस्तावित राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का **6.91 प्रतिशत**)	8967
		अंतर जो पूरा किया जाना है	6385
कुल योग	**17345**	**कुल योग**	**17345**

टीपः आँकड़ों को करोड़ रूपये में पूर्णांकित किया गया है।

राज्य वित्त आयोग द्वारा अंतर को पूरा करने के लिए कोई विशेष अनुशंसा नहीं की जा रही है। राज्य शासन के अतिरिक्त अनुदानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों के दोहन से राजस्व में सुधार और लागत नियंत्रण के माध्यम से अंतर को पाटा जा सकता है।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆